© 2020 IJRTI | Volume 5, Issue 10 | ISSN: 2456-3315

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Shyam Lal Meghwal

परिचय एवं सार

राजस्थान मुख्यत: एक कृषि व पशुपालन प्रधान राज्य है और अनाज व सब्जियों का निर्यात करता है। अल्प व अनियमित वर्षा के बावजूद, यहाँ लगभग सभी प्रकार की फ़सलें उगाई जाती हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि कार्यों एव पशुपालन पर ही निर्भर करती है, तथा कृषि के उपरान्त पशुपालन को ही जीविका का प्रमुख साधन माना जा सकता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में बाजरा, कोटा में ज्वार व उदयपुर में मुख्यत: मक्का उगाई जाती हैं। राज्य में गेहूँ व जौ का विस्तार अच्छा-ख़ासा (रेगिस्तानी क्षेत्रों को छोड़कर) है। ऐसा ही दलहन (मटर, सेम व मसूर जैसी खाद्य फलियाँ), गन्ना व तिलहन के साथ भी है। चावल की उन्नत किस्मों को भी यहाँ उगाया जाने लगा है। 'चंबल घाटी' और 'इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं' के क्षेत्रों में इस फ़सल के कुल क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है। कपास व तंबाकू महत्त्वपूर्ण नक़दी फ़सलें हैं। हाँलाकि यहाँ का अधिकांश क्षेत्र शुष्क या अर्द्ध शुष्क है, फिर भी राजस्थान में बड़ी संख्या में पालतू पशू हैं व राजस्थान सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला राज्य है। ऊँटों व शुष्क इलाकों के पशुओं की विभिन्न नस्लों पर राजस्थान का एकाधिकार है।

राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तर्ज पर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस शासित राजस्थान इसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम देने जा रहा है और मनरेगा की तरह इसमें भी मांग के आधार पर 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश ने इसके लिए 800 करोड़ रुपये की राशि अलग की है। योजना के कई ब्योरों की प्रतीक्षा है लेकिन इसे शहरी बेरोजगारी की समस्या को लेकर पहली संस्थागत प्रतिक्रिया माना जा सकता है। शहरी बेरोजगारी की समस्या 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सामने आई थी। कुछ अन्य राज्यों ने भी शहरी गरीबी राहत कार्यक्रम घोषित किए लेकिन उनमें संसाधनों की कमी थी और वे अस्थायी उपाय थे। उस दृष्टि से देखें तो यह सवाल बनता है कि क्या ऐसे कार्यक्रम के लिए 800 करोड़ रुपये की राशि पर्याप्त होगी। राज्य सरकार का कर्ज सकल घरेलू उत्पाद के तकरीबन एक तिहाई हिस्से के बराबर है और वह पहले ही जोखिम भरे स्तर तक पहुंच चुका है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने सितंबर 2021 में राजस्थान को उन आठ राज्यों में से एक माना था जिनका कर्ज चिंताजनक स्तर पर था। इस संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर पेंशन को दोबारा शुरू करने की घोषणा और दिक्कतदेह है। भारी कर्ज के बीच बिना समुचित राजकोषीय समर्थन के पात्रता योजनाओं का विस्तार करना आपदा को न्योता है।

मुख्य शब्द: रोजगार समस्या, मनरेगा, राजस्थान, शहरी बेरोजगारी, लॉकडाउन, जोखिम

इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी और अनिश्चितता की समस्या एक ऐसी समस्या है जिससे राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सरकार को निपटना होगा। सच यह है कि रोजगार निर्माण, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में रोजगार तैयार करना जरूरतों के अनुरूप नहीं रहा है और यह बात तमाम संकेतकों और सर्वेक्षणों से साबित हो चुकी है। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण से पता चला कि कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति दशकों में पहली बार बढ़ी। यह बात शहरी क्षेत्र में रोजगार की खराब स्थिति को दर्शाती है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी की मांग की थी जिसकी केंद्र सरकार ने संभवत: इसलिए अनदेखी कर दी क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नया कार्यक्रम शुरू करने का व्यापक राजकोषीय प्रभाव भी होता। ऐसे में राजस्थान के प्रयास को प्रारंभिक प्रयोग के तौर पर देखा जा सकता है जिससे पता चलेगा कि देशव्यापी स्तर पर ऐसा प्रयास व्यावहारिक होगा अथवा नहीं।

राजस्थान में पशु-सम्पदा का विशेष रूप से आर्थिक महत्त्व माना गया है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61 प्रतिशत मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन पशुपालन ही है। इससे राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण अंश प्राप्त होता है। राजस्थान में देश के पशुधन का 7 प्रतिशत था, जिसमें भेड़ों का 25 प्रतिशत अंश पाया जाता है। भारतीय संदर्भ में पशुधन के महत्त्व को दर्शाने के लिए नीचे कुछ आँकड़े दिए गए है, जो इस प्रकार हैं-

1. राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का अंश लगभग 12.73 प्रतिशत होता है।
2. राज्य के पशुओं द्वारा भार-वहन शक्ति 35 प्रतिशत है।
3. भेड़ के माँस में राजस्थान का भारत में अंश 30 प्रतिशत है।
4. ऊन में राजस्थान का भारत में अंश 40% है। राज्य में भेंड़ों की संख्या समस्त भारत की संख्या का लगभग 25 प्रतिशत है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि यह पूर्णत कृषि पर निर्भर करती है तथा कृषि मानसून का जुआ मानी जाती है। इस स्थिति में पशुपालन का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राजस्थान में पशुधन का महत्त्व निम्नलिखित तथ्यों से देखा जा सकता है-

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान - राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान लगभग 10% प्रतिशत है।

निर्धनता उन्मूलन - निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में भी पशु-पालन की महत्ता स्वीकार की गई है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीब परिवारों को दुधारु पशु देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया था। लेकिन इसके लिए चारे व पानी की उचित व्यवस्था करनी होती है तथा लाभान्वित परिवारों को बिक्री की सुविधाएं भी प्रदान करनी होती हैं।

रोज़गार-सृजन - पशुपालन में ऊँची आमदनी व रोज़गार की संभावनाएँ निहित हैं। पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है। राज्य के शुष्क व अर्द्ध-शुष्क भागों में कुछ परिवार काफ़ी संख्या में पशुपालन करते है और इनका यह कार्य वंश-परम्परागत चलता आया है। इन क्षेत्रों में शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊँचा अंश पशुपालन से सृजित होता है। इसलिए मरु अर्थव्यवस्था मूलतः पशु-आधारित है।

डेयरी विकास - पशुधन की सहायता से ग्रामीण दुग्ध उत्पादन को शहरी उपभोक्ताओं के साथ जोड़कर शहरी क्षेत्र की दुग्ध आवश्यकता की आपूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका की व्यवस्था होती है। राजस्थान देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 10 प्रतिशत उत्पादन करता है। राज्य में 1989-1990 में 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर 2003-2004 में 80.5 लाख टन हो गया।

परिवहन का साधन - राजस्थान में पशुधन में भार वहन करने की अपार क्षमता है। बैल, भैंसे, ऊँट, गधे, खच्चर आदि कृषि व कई परियोजनाओं में बोझा ढोने व भार खींचने का काम करते हैं। देश की कुल भार वहन क्षमता का 35 प्रतिशत भाग राजस्थान के पशु वहन करते है। देश में रेल व ट्रकों द्वारा कुल 30 करोड़ टन माल की ढुलाई होती है, जबकि बैलगाडियों से आज भी 70 करोड़ टन माल ढोया जाता है।

खाद की प्राप्ति - पशुपालन के द्वारा कृषि के लिए खाद की प्राप्ति भी होती है। इस समय जानवरों के गोबर से निर्मित "वर्मी कम्पोस्ट" खाद्य अत्यधिक प्रचलन में है।

भारत के सांद्रित जस्ता, सीसा, पन्ना व गार्नेट का संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में ही होता है। देश जिप्सम व चांदी अयस्क उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत भाग भी राजस्थान में होता है। यहाँ के प्रमुख उद्योग वस्त्र, वनस्पति तेल, ऊन, खनिज, व रसायन पर आधारित हैं, जबकि चमड़े का सामान, संगमरमर की कारीगरी, आभूषण निर्माण, मिट्टी के बर्तन का निर्माण और पीतल का जड़ाऊ काम इत्यादि जैसे हस्तशिल्पों से काफ़ी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अनेक औद्योगिक राजधानी कोटा में नायलॉन और सूक्ष्म उपकरण बनाने की फ़ैक्ट्री के साथ- साथ कैल्शियम कार्बाइड, कास्टिक सोडा व

रेयॉन टायर के तार निर्माण के संयंत्र भी हैं। उदयपुर में ज़िंक गलाने का संयंत्र है। राज्य को विद्युत आपूर्ति पड़ोसी राज्यों व चबंल घाटी परियोजना से होती है। कोटा के निकट रावतभाटा में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है।

उद्योग एवं खनिज

राजस्थान में औद्योगिक विकास की वृहद सम्भावनाएँ हैं। इस क्षेत्र में राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। 1949 में पंजीकृत उद्योगों की संख्या जहाँ 207 थी, वहाँ 1988 के अन्त में 10,509 हो गई है। राज्य के कृषि प्रधान होते हुए भी, कृषि आधारित उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। साथ ही खनिजों में राज्य, 8 धात्विक और 25 अधात्विक खनिजों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के कुल जिप्सम का 94 प्रतिशत, एस्बेस्टोस का 83 प्रतिशत फेल्सपार का 68 प्रतिशत और चाँदी का 76 प्रतिशत यहीं से प्राप्त होता है। प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि के बावजूद कुछ बाधाओं के कारण पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाई है। राजस्थान में घाटारू नामक स्थान पर प्राकृतिक गैसों के भंडार मिले हैं। इसका प्रयोग शक्तिगृह स्थापित करने, लघु उद्योगों के लिये व खाना पकाने की गैस के लिये हो सकता है। राजस्थान की औद्योगिक नीति, राजस्थान के औद्योगीकरण के उज्ज्वल भविष्य की ओर संकेत करती है। मशीन तथा संयंत्र पर 60 से 75 लाख रुपये तक के विनियोग के निर्यात सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन, रोजगारोन्मुखी उद्योगों, खादीग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा तथा चर्म उद्योग जैसे लघुतम उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नई औद्योगिक इकाइयों को 300 के.बी.ए. तक बिजली की कटौती से मुक्त रखा गया है। लघु एवं वृहद उद्योगों को 15 से 20 प्रतिशत तक अनुदान तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बिक्रीकर में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। । रेगिस्तानी क्षेत्र होने के कारण परिवहन के साधनों का विकास भी राज्य में अपेक्षानुरूप नहीं हो पाया। सड़क और रेल लाइनों का मिट्टी में दब जाना या उखड़ जाना जैसे कारण प्रमुख रहे हैं। परिवहन पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वहीं सातवीं योजना के अंत में 142.48 करोड़ रुपये इस पर खर्च हुए। राज्य सरकार ने ग्रामों को सड़क से जोड़ने के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हाथ में लिये हैं। आठवीं योजना में यातायात के लिये 783.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में सड़कों की लम्बाई 5,51,231 किलोमीटर है, 2,521 किलोमीटर लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग है। रेल परिवहन के क्षेत्र में भारत सरकार ने राज्य की 1,071 किलोमीटर गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की महत्त्वपूर्ण घोषणा की, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विकास को नए आयाम प्रदान करने में सहायक होगी।

सूती वस्त्र उद्योग

यह राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग है। राजस्थान में सबसे पहले *द कृष्णा मिल्स लिमिटेड* की स्थापना देशभक्त सेठ दामोदर दास ने ब्यावर नगर में की थी। यह **राजस्थान** की पहली सूती वस्त्र मिल थी।

सर्वाजनिक क्षेत्र में तीन मिल है-

1. महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर
2. एडवर्ड मिल्स लिमिटेड, ब्यावर अजमेर
3. विजय काटन मिल्स लिमिटेड, विजयनगर अजमेर

राजस्थान में सहकारी सूती मिल है -

1. गंगापुर - भीलवाड़ा में
2. गुलाबपुरा - भीलवाडा में
3. हनुमानगढ़ में

प्रमुख निजी सूती मिल

1. द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ब्यावर, अजमेर (राजस्थान की प्रथम सुती मिल, 1889 में)
2. मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड - भीलवाड़ा(1938)
3. महाराजा उम्मेद मिल्स लिमिटेड - पाली(1942)
4. राजस्थान स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल्स लिमिटेड - भीलवाड़ा(1960)

चीनी उद्योग

1. द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड - भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ नीजि क्षेत्र में कार्यरत, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल्स - 1932
2. गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड - कमिनपुरा, गंगानगर
3. केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड - केशवरायपाटन, बूंदी(सहकारी क्षेत्र में)

सीमेन्ट उद्योग

सीमेन्ट उद्योग की दृष्टि से '*राजस्थान* का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। यहां पर सर्वप्रथम समुद्री सीपियों से सीमेन्ट बनाने का प्रयास किया गया था। राजस्थान में लाखेरी, बूंदी में क्लिक निक्सन कम्पनी द्वारा सर्वप्रथम एक सीमेन्ट संयंत्र स्थापित किया गया। इस कारखाने में सीमेन्ट बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

काँच उद्योग

राजस्थान में काँच प्राप्ति के मुख्य स्थल जयपुर, बीकानेर, बूंदी तथा धौलपुर ज़िले है जहां उपयुक्त रूप से काँच की प्राप्ति होती है। *द हाई टेक्निकल प्रीसीजन ग्लास वर्क्स* सार्वजनिक क्षेत्र में धौलपुर में राजस्थान सरकार का उपक्रम है जो श्रीगंगानगर सुगर मिल्स के अधीन है। काँच उद्योग के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दुसरे स्थान पर है।

ऊन उद्योग

संपूर्ण भारतवर्ष में 42% ऊन राजस्थान से उत्पादित होती है। इस कारण राजस्थान भर में कई ऊन उद्योग की मिलें विद्यमान है जिसमें स्टेट वूलन मिल्स (बीकानेर), जोधपुर ऊन फैक्ट्री, विदेशी आयात - निर्यात संस्था, कोटा इत्यादि है।

ग्रामीण विकास

गाँव, गरीब और विकास ये तीन ऐसे आधार बिन्दु हैं जिन्हें मिलाकर ही विकास का त्रिभुज बनाया जा सकता है। राज्य का आधे से भी अधिक बजट, इसी त्रिभुज की उन्नति के लिये खर्च किया जा रहा है। योजनाओं में ग्रामीणों की सहभागिता के प्रयास किए गए हैं।। राजस्थान पंचायत संशोधन अध्यादेश 1992 इसका ज्वलंत उदाहरण है। अन्त्योदय, अपना गाँव अपना काम, तीस जिले तीस काम, पशुधन के लिये गोपाल योजना, शिल्पबाड़ी व्यवस्था, बाल्मीकि ग्राम, जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना, जीवनधारा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम एवं बीस सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामों के बहुमुखी विकास की कहानी गूंथी गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में, ग्रामीण विकास पर 1021.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन विकास

पर्यटन मानचित्र पर, राजस्थान एक विशिष्ट स्थान रखता है। पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर ही, इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। जहाँ राज्य की योजनानुसार 1990-91 में 135.23 करोड़ रुपये खर्च किए गए, वहीं केन्द्र सरकार से 244.41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। राजस्थान की 1990 में जहाँ (4,17,641 विदेशियों को मिलाकर) 41,52,815 पर्यटकों ने यात्रा की वहीं 1991 में 47,95,007 (4,94,150 विदेशी) पर्यटकों ने पर्यटन का लाभ उठाया। नई 'पेइंग गेस्ट योजना' आरम्भ की गई है। पर्यटन सलाहकार बोर्ड की स्थापना के साथ ही, विश्व विख्यात 'पैलेस ऑन व्हील्स' गाड़ी की रोमांचक यात्रा प्रारम्भ की गई। राजपुतानों की इस भूमि को पर्यटन का स्वर्ग बनाने के भगीरथ प्रयास जारी हैं एवं राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका योग बढ़ रहा है

स्वास्थ्य सेवा

राज्य ने चिकित्सा क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। सभी पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं। राजस्थान में अस्पतालों की संख्या 1,454 है। 10,587 चिकित्सा संस्थान, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत हैं। सन 1989-90 में बिस्तरों की संख्या 28,867 थी, वह बढ़कर दिसम्बर 1992 में 32,178 हो गई। राज्य सरकार ने सन 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सुविधाएँ लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी पंचायत स्तर पर लागू कर प्रभावोत्पादक बनाया गया है।

राज्य में शिक्षा

राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत 38.81 है, जो राष्ट्रीय औसत 52.11 से कम है। साथ ही स्त्री साक्षरता में राजस्थान का स्थान सबसे नीचे है, जो 20.84 प्रतिशत है। 1981-91 के दशक में शिक्षा में 8.72 प्रतिशत की वृद्धि रही है। 1991-92 में 1,315 प्राथमितक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। वर्ष 1992-93 में 1,000 प्राथमिक विद्यालय खोले गए। उच्च शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया। शिक्षा के विकास के लिये भाभा शाह योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सीमा क्षेत्र शैक्षिक विकास कार्यक्रम, लोक जुम्बिश जैसे कार्यक्रम राज्य में चलाए जा रहे हैं।

बिजली

राज्य में 1950-51 में विद्युत स्थापित क्षमता 8 मेगावाट थी, जो सातवीं योजना के अंत में लगभग 2,700 मेगावाट हो गई। बिजली आधारभूत आवश्यकता है। शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता अर्थव्यवस्था को पंगु बना देती है। इस क्षेत्र में राज्य ने विशेष प्रयास किए हैं। वर्ष 1990-91 में जहाँ 11,144 लाख यूनिट बिजली उपलब्ध थी, वहीं 1991-92 में बढ़कर 12,313 लाख यूनिट हो गई। वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य विद्युत मंडल के विकास के लिये 313.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। वर्ष 1992-93 में यह बढ़कर 372.91 करोड़ हो गया। कोटा थर्मल पावर की क्षमता 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दी गई। सूरतगढ़ थर्मल पावर परियोजना इस वर्ष प्रारम्भ की गई। साथ ही बरसिंहसर लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजना, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की मदद से विद्युत उत्पादन की अपर्याप्तता को दूर करने के लिये प्रारम्भ की गई। धौलपुर परियोजना, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुचित मानकर रद्द कर दी गई थी, उसे स्वीकृति मिल गई है। आठवीं योजना में विद्युत क्षेत्र पर 3,255.49 करोड़ रुपये (28.31 प्रतिशत) का प्रावधान है।

वनों का क्षेत्रफल

राज्य के कुल भूभाग का 9 प्रतिशत भाग ही वन भूमि है। वास्तव में 3 प्रतिशत भूमि सघन वन से आच्छादित है। वनों का क्षेत्रफल भी राष्ट्रीय औसत से कम है। इस असंतोषजनक स्थिति से निपटने के लिये सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण और 1991-92 में 'हरित राजस्थान कार्यक्रम' प्रारम्भ किए हैं। 107.65 करोड़ रुपये की परियोजना इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के आस-पास के क्षेत्र के वृक्षारोपण के लिये स्वीकृत हुई है। इसी प्रकार अरावली पहाड़ियों

पर वन संरक्षण व विकास की योजना बनाई गई है। इसी प्रकार सम्भावित भूमि विकास कार्यक्रम के तहत, सात जिलों में 2,528.15 लाख रुपये की परियोजनाएँ भारत सरकार ने स्वीकृत की है।

सिंचाई क्षेत्र

खाद्यानों के उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव को रोकने का एक मात्र रास्ता है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सिंचाई के क्षेत्र में जीवनदायिनी इन्दिरा गाँधी नहर के आगमन से थार के रेगिस्तान में भी हरियाली लहरायी है। वर्ष 1991-92 में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण योजना के तहत 214 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। राज्य का यह प्रयास रहा है कि आन्तरिक स्रोतों के साथ ही साथ, अन्तरराज्यीय स्रोतों में से राज्य के हिस्से का भी प्रयोग किया जा सके। इस संदर्भ में नोहर एवं सिद्धमुख परियोजनाएँ जो लम्बे समय से लंबित पड़ी थीं, इन्हें स्वीकृति देने के बाद विदेशी सहायता हेतु आगे बढ़ाया गया है। इसी प्रकार नर्मदा परियोजना को 548 करोड़ रुपये के बजट के साथ, विदेशी सहायता हेतु प्रस्तावित किया गया है। जर्मनी से लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सूखा विकास कार्यक्रम के तहत भी कई परियोजनाएँ स्वीकृत हुई हैं।

राज्य के विकास की गति को बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि योजनाओं का आकार आवश्यकता के अनुरूप हो। पिछली वार्षिक योजनाएँ इस दिशा में आशा की किरण हैं, जहाँ 1991-92 की वार्षिक योजना 1166 करोड़ रुपये की थी जो पिछली योजना के मुकाबले 22 प्रतिशत अधिक थी वहीं 1992-93 में 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जो गत तीन वर्षों में 76 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस प्रकार आठवीं योजना के दौरान राज्य की वार्षिक योजना में लगभग 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो सकेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 11 हजार 50 करोड़ रुपये का आकार निर्धारित किया गया

राज्य की अर्थव्यवस्था जो कुछ वर्षों पूर्व एक स्थिर एवं गतिविहीन अर्थव्यवस्था कहलाती थी। इसके मुख्य कारण राज्य का निरंतर सूखे व अकाल की चपेट में रहना। उद्योगों की आधारभूत आवश्यकताओं तथा बिजली, पानी, परिवहन, विपणन आदि सुविधाओं की कमी, शिक्षा का ग्राफ अन्य राज्यों के मुकाबले काफी निम्न, स्वास्थ्य सेवाओं का अपेक्षानुरूप न होना व निरंतर जनसंख्या वृद्धि रहा है। यह कहना कि राजस्थान के विकास की गति मंथर है बेमानी होगा क्योंकि वर्तमान में अर्थव्यवस्था ने विकास का नया मार्ग चुना है। कृषि का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान खाद्यान्न उत्पादन में, आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में है। खाद्य तेल के उत्पादन में राज्य में नई छलांग लगाई है। ''तिलम संघ'' की स्थापना इस क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। वर्ष 1990-91 में 23.53 लाख टन तिलहन का उत्पादन रहा, वहीं 1991-92 में 28.00 लाख टन उत्पादन हुआ। खाद्यान्न उत्पादन जहाँ 1950-51 में 29.5 लाख टन था, वह 1990-91 में बढ़कर 109.52 लाख टन ही रहा। किन्तु 1992-93 में उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि के संकेत हैं। कृषि विकास के लिये विश्व बैंक ने 400 करोड़ रुपये की एक महत्त्वपूर्ण परियोजना स्वीकृत की है, साथ ही राजस्थान सरकार ने भी विस्तृत दीर्घकालीन कृषि नीति का प्रारूप तैयार किया है

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना

रोजगार के बिना किसी भी व्यक्ति के जीवन का निर्वहन असम्भव हैं, लोकतंत्र में अपने सभी नागरिको को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना सरकारों का दायित्व हैं. इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक जनकल्याण योजना आरम्भ की जिन्हें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानि मनरेगा (MNREGA) कहा जाता हैं.

प्रत्येक आम नागरिक को इस योजना के तहत उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार के अवसर संभव हो पाए हैं. भारत में अपराध की जड़ बेरोजगारी को समझा जाता हैं, एक बेरोजगार व्यक्ति से समाज के लिए अच्छे कार्य की उपेक्षा नही की जा सकती हैं, इस दिशा में मनरेगा बेहद कारगार साबित हुई हैं.

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले से शुभारम्भ की. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के कार्य को कई चरणों के तहत आरम्भ किया गया,

जिसका पहला चरण सत्र 2006-07 से शुरू हुआ, जिनमे देश के 27 राज्यों के ऐसे 200 जिलो का चयन किया गया. जहाँ रोजगार की बदहालात थे. अगले ही वर्ष महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का दूसरा चरण सत्र 2007-08 से आरम्भ किया गया. इस बार देशभर के 130 शहरों को इसके लिए चुना गया.

वर्ष 2008 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक योजना की बजाय एक अधिनियम के रूप में पारित करवाया गया, जिनके तहत अब न सिर्फ ये एक कार्यक्रम रहा बल्कि लोगों को गारंटी के साथ रोजगार अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया.

इन नए प्रावधानों को जोड़ने के साथ ही 2 अक्टूबरः 2009 को इस योजना का नाम राष्ट्रिय रोजगार गारंटी अधिनियम National Rural Employment Guarantee Act (नरेगा) से बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा) कर दिया गया.

शोध निष्कर्ष

यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी भी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। मसलन ऐसी किसी योजना का क्रियान्वयन मनरेगा की तुलना में काफी जटिल होगा। अकुशल श्रमिकों के लिए शहरी इलाकों के सार्वजनिक रोजगारों में बहुत सीमित अवसर हैं। संभव है कि श्रमिकों की रिहाइश के आसपास उन्हें काम न मिले। दूसरा प्रश्न अर्हता से जुड़ा हुआ है। क्या दूसरे राज्य के कामगारों को भी किसी राज्य की शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम मिलेगा? क्या रोजगार के अधिकार को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकेगा? इनमें से कुछ सवालों के जवाब किसी भी प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना में मिल सकते हैं लेकिन अगर राज्य सरकारें उन्हें प्रस्तुत करती हैं तो इन्हें खास अवसर माना जाना चाहिए। ऐसी योजनाओं की मदद से कम रोजगार सृजन की समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मध्यम और दीर्घावधि के हलों की आवश्यकता है लेकिन सभी स्तरों पर सरकारें इस मामले में बहुत शिथिल रही हैं। आशा की जानी चाहिए कि राजस्थान सरकार एक जरूरी समस्या हल करने की कोशिश में अपनी क्षमता से आगे निकलकर प्रयास न कर रही हो।

संदर्भ सूची

- राजस्थान आर्थिक समीक्षा प्रकाशन राजस्थान सरकार राजस्थान के संदर्भ में 2020, 21
- लक्ष्मीनारायण नाथूरामका राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्रकाशन 2020
- BS Baghel addition micro economics and macroeconomics page 15-22
- गुप्ता प्रकाशन अजमेर राजस्थान के विकास के आयाम 2020-21